

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

E-mail Id - deobalodabazar12@gmail.com

उमात / मान्यता / 2025
पर्वती

2044

बलौदाबाजार दिनांक 26/03/25

इंडियन पब्लिक स्कूल कौवाडीह, अमेरा (पतारी)
शिक्षादीप एजुकेशन समिति कौवाडीह, अमेरा (पतारी)

अस्थाई मान्यता सत्र 2025-26
मान्यता क्रमांक - 367 / 509

प्रिय- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये, नि:शुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

—000—

महोदय / महोदया

आपका आवेदन पत्र दिनांक 24/04/2024 के सदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्रावार निरीक्षण के उपरान्त इंडियन पब्लिक स्कूल कौवाडीह, अमेरा (पतारी) (विद्यालय का नाम पता राखित) (डाईस-कोड 22241811203) को शैक्षणिक सत्र 2025-2026 (एक वर्ष) के लिए कक्षा नर्सरी से दसवीं तक (माध्यम-अंग्रेजी) के लिए निम्नांकित शर्तों के अधिन अस्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:-

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई वाध्यता विवक्षित नहीं है।
 2. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(परिशिष्ट -एक) और नि:शुल्क और विद्यालय, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009(परिशिष्ट-दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
 3. अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009(परिशिष्ट-दो) के उपबन्धों में उस कक्षा में वच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में वच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के वच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह भी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मासले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
 4. पैरा 03 में निर्दिष्ट वच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 5. सोसायटी/विद्यालय किसी कोपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी वच्चे या उसके माता-पिता या सरकार को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
 6. विद्यालय किसी वच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - 01 प्रवेश दिये गये किसी भी वच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा।
 - 02 किसी भी वच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्तीर्ण के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - 03 प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी वच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - 04 प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक वच्चों को नियम 25के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
 - 05 अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - 06 अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है।
 - 07 अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
 - 08 अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाद्यचर्चा के आधार पर पाद्यक्रम का पालन करेगा। अंतिम विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुरार हैं:-
- 01 विद्यालय परिरार का क्षेत्रफल
 - 02 खेत के मैदान का क्षेत्रफल
 - 03 कक्षाओं की संख्या

दृष्टव्य तिरारी
Maud Mastor
Indian Public School
Kavvadih, Baloda Bazar (C.G.)

Rohit Shukla
PRESIDENT/SECRETARY
SHIKSHADEEP EDUCATION SOCIETY
KAVVADIH, BALODA BAZAR (C.G.)

- 04 प्राग्नपाठक- राह- कार्यालय- राह- भण्डार के लिए कक्ष
 05 बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौधालय
 06 पेयजल सुधिंगा
 07 ग्रामान्ह भौजन पकाने हेतु रसोई
 08 वापाराहित पहुँच
 अध्यापन पठन शामाजी/कीड़ा खेलकूद के उपरकरों/पुस्तकालय की उपलब्धता वर्पाना तक अनिवार्यता पूर्ण करना।
 9। विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
 10। विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या रथलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
 11। विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रयुत्त किरी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 12। विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 13। विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 14। आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक 367 / 509 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राघार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
 15। विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और संसूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गए जाएं।
 16। सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
 17। अनिवार्य रूप से आनलाईन या मोहल्ला कक्ष लगाया जाना सुनिश्चित की जाए।
 18। अन्य शर्तें।
- पालक समिति की अनुसंशा एवं जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन पर फीस निर्धारित करने की शर्तें पर सार्वत्र मान्यता प्रदान की जाती है।
 - शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अब तक प्रवेशित छात्रों का आनलाईन प्रविष्टि व शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों को बाधारहित अध्यापन, हितग्राही छात्रों को छात्रवृत्ति, जाति प्रमाण-पत्र व आधार नम्बर, सूचना के अधिकार, रेडकास, रकाउट-गाईड, खेलकूद आदि सहगामी कियाकलाप, स्कूल में चलने वाली वाहन यथा बस आदि नियमों के अधिन संचालित होने के शर्तों के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2025-2026 (एक वर्ष) के लिए अरथाई मान्यता दी जाती है।
- नोट:- उपरोक्त शर्तों के पालन किए जाने के अधिन/आधार पर अस्थायी मान्यता दी जा रही है।

पृ. क. / मान्यता / 2025

2045

प्रतिलिपि:-

- सदिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- कलेक्टर, जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- संविधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।

26/3/25
जिला शिक्षा अधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
बलौदाबाजार दिनांक 26/03/25

26/3/25
जिला शिक्षा अधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

26/3/25
Rajesh Shukla
President/Secretary
Shikhsadeep Education Society
Kauwadih, Baloda Bazar (C.G.)

26/3/25
Rajesh Shukla
President/Secretary
Shikhsadeep Education Society
Kauwadih, Baloda Bazar (C.G.)